



पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स पटना-800001



तथ्य विवरणी

समादेश याचिका सं०:-672/17 मो० इम्तियाजुद्धीन बनाम पटना नगर निगम में माननीय उच्च न्यायालय में तथ्य कि विवरणी प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गयी है जो कांडिकावार निम्न है:-

1. वादी को दिनांक-01.04.97 से 31.10.2004 से वेतन अंतर राशि एवं महँगाई भत्ता अन्तर राशि का भुगतान सभी कर्मियों के साथ किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु RTGS की छायाप्रति संलग्न है। दिनांक- 01.02.2007 से वेतन विसंगति अंतर राशि का भुगतान निगम के अन्य कर्मियों के साथ भुगतान अपेक्षित है। जिसकी गणना की गयी है। पटना नगर निगम के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को एक साथ भुगतान मान्य है।

2. आवेदक का प्रार्थना है।

3. आवेदक का कथन है

4. आवेदक का प्रार्थना है।

5. वादी का दिनांक-01.04.2007 से षष्टम् वेतन पुनरीक्षण अन्तर राशि के मद में कुल राशि की गणना की गयी है। सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ भुगतान मान्य है।

अतः राशि उपलब्ध होते ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

सहायक/स्था०,
पटना नगर निगम, पटना।

प्रशाखा वेदाधिकारी/स्था०,
पटना नगर निगम, पटना।

अपर नगर आयुक्त (स्था०),
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक: 12489/स्था०, पटना, दिनांक 07/12/2017 ई०।

प्रतिलिपि:- 1. विधि पदाधिकारी, पटना नगर निगम।
2. संबंधित पैनल अधिवक्ता, पटना नगर निगम, पटना।

अपर नगर आयुक्त (स्था०),
पटना नगर निगम, पटना।

“बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना”